संख्या– /XVIII(II)/2017–18(38)/2014

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुघ,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 13 सितम्बर, 2017

विशयः– जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के फायरिंग रैंज की स्थापना हेतु ग्राम हाटथर्प की 0.460 है0 राज्य भूमि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हस्तान्तरण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–211/सात–17/2013–14 दिनांक 09.12.2013 एवं उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय बरेली, भा0ति0सी0 पुलिस बल के पत्र संख्या भा0ति0सी0पु0/क्षे0मु0(बरेली)/अभि0/सी–11/16–8702–04 दिनांक 11.08.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम हाटथर्प, पट्टी डीडीहाट के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 46 श्रेणी–9(3)ग गौचर के खेत नं0 2505 मध्ये 0.140 है0, खेत नं0 2528 मध्ये 0.180 है0, खेत नं0 2567 मध्ये 0.140 है0, कुल 3 खेतों का रकबा 0.460 है0 तथा श्रेणी–10(1) रौली, खाता संख्या 52 के खेत नं0 2506 मध्ये 0.010 है, खेत नं0 2529 मध्ये 0.020 है0 कुल 2 खेत का कुल रकबा 0.030 है0, इस प्रकार कुल 05 खेतों की 0.490 है0 भूमि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1दि0–09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/9–1–1(60)/93–280–रा0–1 दिनांक–12.09.1997 तथा शासनादेश संख्या–1115/XVII(II)/2016–18(184)/2015 दिनांक 15 जून, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भारत सरकार के विभागों से भूमि की कीमत वर्तमान प्रचलित बाज़ार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की कीमत के अतिरिक्त मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन फायरिंग रेंज की स्थापना हेतु भारत तिब्बत पुलिस बल को पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

2– प्रश्नगत जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

4– इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में संशोधन शासनादेश संख्या–1332/ XVII(II)/2014–18(59)/2013 दिनांक 07 जुलाई, 2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

.....2/

6– प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85(24)–रा–6 दिनांक–09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।

8– प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

9– यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

10– भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

11– संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–01 से 11 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव।

पृ0प0सं0– 1489/XVIII(II)/2017–18(38)/2014 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3–उप महानिरीक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय बरेली, भा0ति0सी0 पुलिस बल, पोस्ट–बुखारा कैम्प, बरेली, उ0प्र0। ।
4–निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5–प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0जोशी)
अपर सचिव।